तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदे इनिशियल्स जज
	वकील प्रार्थीयान को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वर्णित तथ्यों से प्रथम दृष्ट्या आश्वस्त हो अप्रार्थीयान को आगामी तारीख पेशी तक के लिए जरिये अस्थायी निशेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम नानपुर उपतहसील करणपुर तहसील सपोटरा के आराजी खसरा नं0 156,157,158,165, 166,202,204,208,210,211,212,219 कुल किता 12 का कुल रकबा 28 बीघा 10 बिस्वा में प्रार्थीयान के हिस्से की आराजी मे किसी प्रकार की दखलदांजी ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे। आदेश जारी हो। प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान दर्ज रजिस्टर हो। तलबी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 20.8.2015 को पेश हो। [signature] उप जिला कलेक्टर सपोटरा जिला—करौली
Not press [signature] 10/7/15	10/7/15 पत्रावली आज मिसल तलबी से प्राप्त हुई। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पर Not press किया है, प्रार्थी भी उपस्थित है। प्रार्थना पत्र पर आगे कोई कार्यवाही नही चाहते है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा Not press करने के फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature] उप जिला कलेक्टर सपोटरा, जिला करौली